

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 754
No. 754

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 21, 2010/वैशाख 1, 1932
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 21, 2010/VAISAKHA 1, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2010

का.आ. 912(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोट परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1097 (अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के 539.500 कि.मी. से 440.000 कि.मी. (वदापे - गोंडे सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 539.500 कि.मी. से 440.000 कि.मी. (वदापे - गोंडे सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विकास के लिए, निर्माण, प्रचालन और स्थानान्तरण (बी.ओ.टी.) आधार पर मैसर्स मुम्बई नासिक एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय गैमन हाऊस, सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई - 400025 है (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 साथ

(1)

पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सेक्शन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अन्तर्वलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए इससे उपाबद्ध अनुसूची स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रवर्ग पर फीस उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्गृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को उक्त खंड के वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक उक्त फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	आधार फीस प्रति कि.मी. प्रति यान प्रति फेस की दर (रूपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, यात्री वैन और जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी)	0.70
3.	ट्रक/बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान (>दो धुरीय), अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी निर्माण मशीनरी	2.25

टिप्पण:-

- 1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :-
 - (i) "वास्तविक फीस" से उक्त सेक्शन के उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;
 - (क) विनिर्दिष्ट परियोजना राजमार्ग की लम्बाई, और
 - (ख) उपर्युक्त सारणी में दी गई आधार फीस सम्यक रूप से सूचीबद्ध और जो पांच रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।
 - (ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन, स्वतन्त्र सलाहकार द्वारा, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन का चार लेन पूरा होने पर, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अन्तिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।
 - (iii) "स्थानीय निजी यातायात" से ऐसा यान अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत निजी यान भी है जो ऐसे व्यक्ति रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत है, जो सामान्यतया ऐसे स्थान पर निवास करता हो या कार्य करता है जहाँ सामान्यतया उक्त सेक्शन के केवल एक भाग का उपयोग करके या एक से अधिक पथकर

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

प्लाजा पार किए बिना पहुँचा जा सकता है और इसलिए ऐसे व्यक्ति से अपने कार्य स्थल या निवास से आने या जाने के सामान्य अनुक्रम में उक्त सेक्शन के किसी भाग पर यात्रा करने के लिए ऐसे यान का उपयोग करना अपेक्षित है।

(iv) "स्थानीय वाणिज्यिक यातायात" से ऐसे वाणिज्यिक यान अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत, साभान या यात्रियों को लाने या ले जाने में लगे बस, ट्रक या हल्के मोटर यान या टैक्सी भी हैं, जो उक्त सेक्शन पर एक से अधिक पथकर प्लाजाओं को पार किए बिना नियत रूप से चलती हैं।

(v) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है।

(vi) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त सेक्शन के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं।

2. फीस की दर तथा उसका पुनरीक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगा, की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:-

आधार फीस X $\frac{\text{थो.की.सू.-ख}}{\text{थो.की.सू.-क}}$ X उक्त खंड की लम्बाई

जहां

- थो.की.सू.-क = 31 मार्च (128.80) को थोक कीमत सूचकांक है;
- थो.की.सू.-ख = फीस-पुनरीक्षण तारीख के पूर्ववर्ती 31 मार्च को थोक कीमत सूचकांक है।
- थो.की.सू. से आर्थिक सलाहकार, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा यथा पुनरीक्षित थोक कीमत सूचकांक अभिप्रेत है या इसका प्रतिस्थापन करने वाला अन्य सूचकांक है।

3. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस संदेय या संगृहीत नहीं की जाएगी, अर्थात्:-

- (क) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथाविस्तारित) के उपबंधों के अनुसार छूट के पात्र हैं;
- (ख) पुलिस यान;

- (ग) अग्नि शमन यान ;
 (घ) एम्बुलेंस ;
 (ङ) अन्वेषण यान;
 (च) डाक और तार विभाग के यान;
 (छ) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान ।
 (ज) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-
- (i) भारत के राष्ट्रपति;
 (ii) भारत के उपराष्ट्रपति;
 (iii) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;
 (iv) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
 (v) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रहे विदेशी राजनयिक;
 (vi) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, केंद्रीय, राज्य मंत्री, लोक सभा, राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हेसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों;
 (vii) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, अपने राज्य में किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य, राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद या राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;
 (viii) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;
4. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी है, पथकर प्लाजा से 500 मी. आगे, पथकर प्लाजा से 100 मी. आगे और पथकर प्लाजा पर सहज रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सके ।
5. किसी पथकर प्लाजा से गुजरने वाले यान से रास्ते में पड़ने वाले प्रथम प्लाजा पर सम्पूर्ण परियोजना सेक्शन 539.500 कि.मी से 440.000 कि.मी तक के लिए विनिर्दिष्ट फीस देने की अपेक्षा की जाती है और दूसरे प्लाजा पर फीस रसीद दिखा कर पार करने की अनुज्ञा दी जाएगी और फीस प्लाजा पार करके उक्त सेक्शन का केवल एक भाग उपयोग करने वाले यानों से पूरी परियोजना लंबाई के लिए लागू फीस का का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी ।

6. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित छूट दरों से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा अर्थात्:-

(क) स्थानीय निजी यातायात	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान को लागू फीस का साठे बारह प्रतिशत
(ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान को लागू फीस का पच्चीस प्रतिशत

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात के उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन मुफ्त उपलब्ध है, वहां रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यातायात से फीस उद्गृहीत और संग्रहीत करेगा, यदि वे उक्त सेक्शन का उपयोग करते हैं।

7. रियायतग्राही, इस अधिसूचना का सार, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख सहित कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले और पुनरीक्षित फीस को भी प्रभावी बनाने के दस दिन पहले इस अधिसूचना के अनुसार प्रकाशित करेगा।
8. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उद्गृहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो यथार्थोक्त सारणी के अधीन नहीं आते हैं।
9. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किन्तु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम पैंतालीस दिन पहले, प्राधिकरण को यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए भेजी जाएगी ताकि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणी कर सके या स्पष्टीकरण मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई समझी जाएगी।

[फा. सं. भारराप्रा/13013/508/09-10/सो.ओ./जीसी नासिक (वदापे-गौडे) बी.ओ.टी.]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

1496 4/10-2

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2010

S.O. 912(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1097 (E), dated the 4th August, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government has entrusted the stretch from Km 539.500 to Km 440.000 of National Highway No. 3 (Vadape - Gonde section) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Mumbai Nasik Expressway Limited , having registered office at Gammon House, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development of the stretch from Km 539.500 - Km 440.000 (Vadape - Gonde section) of National Highway No. 3 in the State of Maharashtra (herein after referred to as the said section) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956); read with the National Highways (Collection of Fees by any Person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of such agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fee at the rate specified in column(3) of the following Table, on the category of vehicle specified in column(2) thereof, for the use of the said section and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation of the said section or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:--

Table

S. No.	Category of vehicle	Rate of base fees per vehicle per one way trip per Km (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, passenger van and jeep	0.40
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	0.70
3.	Truck and bus	1.40
4.	Multi Axle Vehicle (>2 axle) including earth moving equipment and heavy construction machinery.	2.25

Notes:

1. For the purpose of this notification,-

(i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said section as approved by the Authority calculated on the basis of -

- (a) length of the project highway, and
(b) base fee given in the above Table duly indexed, and shall be rounded off to nearest five rupees;

(ii) "date of commercial operation" means the date on which the commercial operation of the said section starts, after the issue of completion certification or the provisional certificate, as the case may be, by the independent consultant upon completion of four laning of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(iii) "Local Personal Traffic" means and includes a personal vehicle which is registered with the Concessionaire, by any person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the said section and such person is, therefore, required to use such vehicles for commuting on a part of the said section, without crossing more than one of the toll plazas; in the course of normal travel to and from his place of work or residence;

(iv) "Local Commercial Traffic" means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxis engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the said section without crossing more than one of the Toll Plazas;

1496 67/10-3

- (v) "Termination Date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;
- (vi) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the meanings respectively assigned to them in the said agreement.
2. The rate of fee and the revision thereof effective from 1st July every year shall be calculated as follows:-
- $$\text{Basic Fee X } \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \text{ X length of the said section.}$$
- Where
- WPI-A = is the Wholesale Price Index on March, 31, 1997. (128.80)
 - WPI-B = is the Wholesale Price Index on March 31 preceding the fee-revision date.
 - WPI means the Wholesale Price Index as revised by the office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.
3. No fee shall be payable or collected in respect of the following vehicles, namely: -
- (a) Defense vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);
 - (b) Police vehicles;
 - (c) Fire fighting vehicles;
 - (d) Ambulances;
 - (e) Funeral vans;
 - (f) Post and Telegraph Department's vehicles;
 - (g) Central and State Government vehicles on duty;
 - (h) Vehicles having "VIP" symbols or officially belonging to —
 - (i) President of India;
 - (ii) Vice-President of India;
 - (iii) Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory;
 - (iv) A Foreign dignitary on State visit to India, and
 - (v) A Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD" / "CC" symbols;

- (vi) Chairman of Rajya Sabha, Speaker of Lok Sabha, Chairman of a State Legislative Council, Speaker of a State Legislative Assembly, a Minister for the Union or State, Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;
- (vii) Members of Parliament in the entire country, a Member of Legislative Assembly of a State, a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his Identity Card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State as the case may be;
- (viii) Vehicles belonging to Winners of Gallantry Awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo Identity Card duly authenticated by the Competent Authority for such award.
4. The rates of fees, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the Concessionaire to whom complaints, if any, to be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll plaza, 100 meters ahead of the toll plaza and at the toll plaza also and the height of the display boards and size of letters being such that the drivers can easily read the display boards.
5. Vehicles passing through any of the fee plazas are required to pay the specified fee for the entire project stretch from Km 539.500 to Km 440.000 at the first plaza encountered and shall be allowed to cross the second plaza by showing the receipt and the vehicles using even only a part of the said section by crossing a fee plaza will be required to pay the applicable fee for the entire project length.
6. The Concessionaire shall not collect fees from Local Personal Traffic and Local Commercial Traffic in excess of the following discounted rates, namely:-
- (a) Local Personal Traffic: Twelve and half per cent. of the fee applicable for the specific category of vehicle;
- (b) Local Commercial Traffic: Twenty Five per cent. of the fee applicable for the specific category of vehicle.

Provided that if a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall levy and collect fee from such local traffic, if they use the said section.

7. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provision of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fee as per this notification.
8. No fee shall be levied and collected for a mechanical vehicle, which is not covered under the aforesaid Table.
9. The actual fees to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to the Authority for validation as soon as possible after 31st March, in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarification during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/508/09-10/CO/GC NASHIK (VADAPE-GONDE) BOT]

S. S. GULIA, Dy. Secy.